प्रेस नोट थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 11-11-2026

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम व गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी अभियुक्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.11.26 को थाना रोजा पर वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 504/26 धारा 103(1),109(1),3(5) BNS 2023 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए मानसिक व शारिरीक प्रताडित करने व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की बहन को जान से मार देने व भांजी का गला जान से मारने की नियत से दबाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता, उम्र 36 वर्ष, नि0मो0 आदर्शनगर कॉलोनी, थाना रोजा, शाहजहाँपुर को रेलवे इण्टर कॉलेज के खाली पडे मैदान से गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल (विद्युत तार) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता, उम्र 36 वर्ष, नि0मो0 आदर्शनगर कॉलोनी, थाना रोजा, शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0- 504/26 धारा 103(1),109(1),3(5) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण

आलाकत्ल (विद्युत तार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र
उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
का0 अभिषेक कुमार
का0 नवनीत सिंह
का0 विशाल अष्टवाल
का0 नितिन कुमार